न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 17/2011 जिला दौसा

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

राजपाल पुत्र हरबक्श, उम्र 70 वर्ष, जाति मीना, निवासी मण्डावर, तहसील महवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा दिनांक 28.9.2010

उपस्थित–

1. अपीलान्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता
2. वकील रेंस्पोंडेन्ट श्री रामअवतार सिंह ।

निर्णय

दिनांक –7.1.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.9.2010 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि रेस्पोडेन्ट राजपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं. 194 रकबा 0.03 गै.मु.कुआ खसरा नं. 196 रकबा 0.78 तथा खसरा नं. 197 रकबा 0.66 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर तहसील महवा में स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर सैटिलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 170, 171 से कायम हुए हैं । खसरा नं. 170, 171 की पूर्व में खातेदारी प्यारे लाल पुत्र हुकमचन्द ब्राह्मण निवासी मण्डावर के नाम से थी, जिसे प्रार्थी ने दिनांक 18.6.79 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था तथा नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 5.4.80 के जरिये प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी तब से लेकर आज तक प्रार्थी बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है । कुछ समय पूर्व तहसील महवा में सैटिलमेन्ट हुआ था जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने मौजूदा खातेदारी में लाल स्याही से देवताओं से संबंधित जोत का इन्द्राज कर दिया जो कानूनन गलत है । उक्त खसरा नम्बरान का देवताओं से कभी कोई संबंध नहीं रहा और न ही वर्तमान में है और न ही सैटिलमेन्ट से पूर्व भी ऐसा कोई नोट था । अगर नोट होता तो प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री व खातेदारी कैसे होती । इसके अलावा जमाबंदी संख्या 2051 आधार वर्ष में भी ऐसा कोई नोट अंकित नहीं है उसके बाद उक्त नोट

किस न्यायालय के आदेश से किस तारीख को किसने लगाया स्पष्ट नहीं है । कानून में किसी जमाबंदी में बिना न्यायालय के आदेश व बिना मौके की जॉच किये व बिना प्रार्थी को नोटिस देकर कोई कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थी के साथ अन्याय है । न्यायहित में ऐसे इन्द्राज को दुरूस्त फरमाया जाना जरूरी है जो बिना प्रावधान के बिना आधार के दर्ज की गई है तथा बमुकाबले प्रार्थी शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य है । उक्त गलत इन्द्राज का इल्म सर्वप्रथम दिनांक 24.3.2009 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुआ क्योंकि प्रार्थी किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक में आवश्यकता पडी तो उसे पटवारी हल्का ने बताया तब प्रार्थी ने तहसीलदारजी से कहा तो उन्होंने कहा कि आपकी सारी बात सही है । मैं इस नोट को नहीं हटा सकता । आपको एस.डी.ओ. के यहां दुरूस्ती की कार्यवाही करनी पड़ेगी । इसलिसे प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती लाना लाजिम आया । भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है श्रीमानजी को सुनने का अधिकार है । कोर्ट फीस नियमानुसार है । प्रार्थना में खसरा नं. 194, 196, 197 ग्राम मण्डावर के कालम संख्या 4 जमाबंदी मौजूद में जो लालस्याही से देवताओं से संबंधित एन्ट्री अंकित है उसे डिलीट फरमाये जाने की प्रार्थना की है ।

रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.9.2010 पारित कर आराजी खसरा नं. 194/0.30, 196/0.78, 197/0.66 कुल किता 3 रकबा 1.47 हैक्टैयर ग्राम मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा के हाल राजस्व रिकार्ड में राजपाल की खातेदारी के साथ दर्ज किया गया देवताओं के नोट हटाने के आदेश दिये गये ।

उपखण्ड अधिकारी महवा के उक्त आदेश से व्यथित होकर तहसीलदार महवा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थी की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी जाकर आदेश प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर दिनांक 23.9.2013 को पारित कर प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित उक्त आदेश दिनांक 23.9.2013 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट राजपाल द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.4.2019 द्वारा खारिज की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.9.2013 यथावत रखा गया तथा अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया

गया कि विचाराधीन अपील में गुणावगुण के बिन्दु पर विधि अनुसार आगामी विचारण किया जाना सुनिश्चित करें ।

मा.राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 22.4.2019 के परिपेक्ष्य में प्रकरण के गुणावगुण पर उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलाण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नं. 194 रकबा 0.03 हैक्टैयर गै.मु.कुआ खसरा नं. 196 रकबा 0.78 हैक्टैयर, खसरा नं. 197 रकबा 0.66 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर ग्राम मण्डावर तहसील महवा में स्थित है जिस पर साबिक खसरा नं. 170 व 171 कायम है । जमाबन्दी सम्वत् 2000 के अनुसार ख.स.114, 115, 116, 118, 119 व 120 की खातेदारी माफी गंगादास चेला, नारायणदास कौम बैरागी साकिन अमरपुर (अलवर) के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सम्वत् 2013–16 की जमाबन्दी के अनुसार उपर वर्णित खातेदार के साथ कृषक का नाम माफी प्यारेलाल पुत्र हुकमचन्द कौम ब्राह्मण दर्ज है । जमाबंदी संवत 2021 से 24 के अनुसार खसरा नं. के साथ "खातेदारान रिजुम्शन जो माफी से खालसा हुए" नोट दर्ज है तथा काश्तकार का नाम प्यारे लाल पुत्र हुकमचन्द पालीवाल दर्ज हो गया । जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में पहली बार राजस्व अधिकारियों की भूलवश खातेदार माफी गंगादास चेला नारायण दास कौम बैरागी साकिन देह के स्थान पर कृषक का नाम प्यारेलाल पुत्र हुकमचंद पालीवाल खातेदार के रूप में दर्ज हो गया था । भू–प्रबन्ध के दौरान खातेदार के सभी खसरा नम्बरों को एक साथ इन्द्राज किया गया तथा जमाबंदी 2021 से 2024 के दौरान हुई भूल सुधारने के लिसे संवत 2020 की खतौनी से मिलान करवाया गया । मिलान के दौरान मंदिर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम रखते हुए उसके साथ देवताओं से संबंधित जोत का अंकन कर दिया गया । जमाबन्दी 2051 से प्रत्येक जमाबन्दी में देवताओं से संबंधित जोत का अंकन है, जो राजस्व कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार संवत् 2020 की खतौनी को आधार बनाकर लगाया है जो विधिसंगत है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के दृष्टिगत नहीं रखकर अपीलाधीन आदेश अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पारित कर उक्त राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट राजपाल की खातेदारी के साथ दर्ज देवताओं के नोट को हटाने का आदेश पारित दिया है । उनका कहना था कि राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटियों को पक्षकारों को सुनकर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी के साथ दर्ज देवताओं के नोट को हटाने का आदेश दिया है जो रचित एवं विधिसम्मत नहीं है । उनका कहना था कि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार धारा 136 के अंतर्गत नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्षेत्राधिकार विहीन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत की गई । उनके द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आराजी खसरा नं. 194 रकबा 0.03 गै.मु.कुआ खसरा नं. 196 रकबा 0.78 तथा खसरा नं. 197 रकबा 0.66 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावर तहसील महवा में स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर सैटिलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 170, 171 से कायम हुए हैं । खसरा नं. 170, 171 की पूर्व में खातेदारी प्यारे लाल पुत्र हुकमचन्द ब्राह्मण निवासी मण्डावर के नाम से थी, जिसे रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 18.6.79 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था तथा नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 5.4.80 के जरिये रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी तब से लेकर आज तक रेस्पोडेन्ट बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है । कुछ समय पूर्व तहसील महवा में सैटिलमेन्ट हुआ था जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने मौजूदा खातेदारी में लाल स्याही से देवताओं से संबंधित जोत का इन्द्राज कर दिया जो कानूनन गलत है । उक्त खसरा नम्बरान का देवताओं से कभी कोई संबंध नहीं रहा और न ही वर्तमान में है और न ही सैटिलमेन्ट से पूर्व भी ऐसा कोई नोट था । अगर नोट होता तो रेस्पोडेन्ट के नाम रजिस्ट्री व खातेदारी कैसे होती । इसके अलावा जमाबंदी संख्या 2051 आधार वर्ष में भी ऐसा कोई नोट अंकित नहीं है उसके बाद उक्त नोट किस न्यायालय के आदेश से किस तारीख को किसने लगाया स्पष्ट नहीं है । कानून में किसी जमाबंदी में बिना न्यायालय के आदेश व बिना मौके की जॉच किये व बिना रेस्पोडेन्ट को नोटिस देकर कोई कार्यवाही की जाती है तो रेस्पोडेन्ट के साथ अन्याय है । न्यायहित में ऐसे इन्द्राज को दुरूस्त फरमाया जाना जरूरी है जो बिना प्रावधान के बिना आधार के दर्ज की गई है तथा बमुकाबले रेस्पोडेन्ट शुरू से ही प्रभावहीन व शून्य है । उक्त गलत इन्द्राज का इल्म सर्वप्रथम दिनांक 24.3.2009 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुआ क्योंकि रेस्पोडेन्ट किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक में आवश्यकता पडी तो उसे पटवारी हल्का ने बताया तब रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार जी से कहा तो उन्होंने कहा कि आपकी सारी बात सही है । मैं इस नोट को नहीं हटा सकता । आपको एस.डी.ओ. के यहां दुरूस्ती की कार्यवाही करनी पड़ेगी । इसलिये रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी के साथ दर्ज किया गया देवताओं का नोट हटाने का आदेश दिया है । उनका कहना था कि राजस्व अभिलेख में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना लगाये गये नोट को धारा 136 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत दुरूस्त किये जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है और अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानून के तहत

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलधीन आदेश पारित किया है जो उचित एवं विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 (1)आर.आर.टी. पेज 374, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1214, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 391, आर.आर.डी. 2003 पेज 298, निर्णय मा.न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 31.7.98 उनवानी मोड़या बनाम रामसहाय, आर.आर.डी.1969 पेज 231, आर.आर.डी.1983 पेज 364 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से बताया गया है कि आराजी खसरा नं. 194 रकबा 0.03 हैक्टैयर गै.मु.कुआ खसरा नं. 196 रकबा 0.78 हैक्टैयर, खसरा नं. 197 रकबा 0.66 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टैयर ग्राम मण्डावर तहसील महवा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नं. 170 व 171 कायम है। जमाबन्दी सम्वत् 2000 के अनुसार ख.स. 114, 115, 116, 118, 119 व 120 की खातेदारी माफी गंगादास चेला नारायणदास कौम बैरागी साकिन अमरपुर (अलवर) के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सम्वत् 2013–16 की जमाबन्दी के अनुसार उपर वर्णित खातेदार के साथ कृषक का नाम माफी प्यारेलाल पुत्र हुकमचन्द कौम ब्राह्मण दर्ज है। जमाबंदी संवत 2021 से 2024 के अनुसार खसरा नं. के साथ "खातेदारान रिजुम्शन जो माफी से खालसा हुए" नोट दर्ज है तथा काश्तकार का नाम प्यारे लाल पुत्र हुकमचन्द पालीवाल दर्ज हो गया। जमाबंदी संवत 2021से 2024 में पहली बार राजस्व अधिकारियों की भूलवश खातेदार माफी गंगादास चेला नारायण दास कौम बैरागी साकिन देह के स्थान पर कृषक का नाम प्यारेलाल पुत्र हुकमचंद पालीवाल खातेदार के रूप में दर्ज हो गया था । भू–प्रबन्ध के दौरान खातेदार के सभी खसरा नम्बरों को एक साथ इन्द्राज किया गया तथा जमाबंदी 2021 से 2024 के दौरान हुई भूल सुधारने के लिये संवत 2020 की खतौनी से मिलान करवाया गया । मिलान के दौरान मंदिर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम रखते हुए उसके साथ देवताओं से संबंधित जोत का अंकन कर दिया गया । जमाबन्दी 2051 से प्रत्येक जमाबन्दी में देवताओं से संबंधित जोत का अंकन है, जो राजस्व कर्मियों द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार संवत् 2020 की खतौनी को आधार बनाकर लगाया है, जो विधिसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा ने रेस्पोडेन्ट राजपाल के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.9.2010 पारित कर आराजी खसरा नं. 194/0.30, 196/0.78, 197/0.66 कुल किता 3 रकबा 1.47 है0 ग्राम मण्डावर, तहसील महवा, जिला दौसा के हाल राजस्व रिकार्ड में राजपाल की खातेदारी के साथ दर्ज किये गये देवताओं के नोट को हटाने के आदेश दिये गये है । हम समझते हैं कि राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदारों के नाम हटाने या परिवर्तित करने के लिये रेस्पोंडेन्ट को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही करनी चाहिये । सक्षम न्यायालय द्वारा वाद में साक्ष्य सबूत एवं

गवाहों के परीक्षण उपरान्त ही राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदारी से नाम हटाने या परिवर्तित करने के संबंध में निर्णय हो सकता है ।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है जिसके तहत राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटियों को उपखण्ड अधिकारी (भू–अभिलेख अधिकारी) पक्षकारों को सुनकर दुरूस्त कर सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में अंकित देवताओं के नाम को अपीलाधीन आदेश से हटाया गया है, जो क्षेत्राधिकार विहीन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपीलार्थी का उपरोक्त कथन उचित प्रतीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 28.9.2010 निरस्त किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. [redacted] आयुक्त,

जयपुर